न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) जायल, जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी :–सुनील कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या : 108 / 2022

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
भुगानाराम उर्फ भगवानाराम पुत्र खिंयाराम जाति जाट निवासी काशीपुरा	बनाम	सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 व अधीन धारा 131 एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

– : : निर्णय : : –

दिनांक 4/10/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि मौजा काशीपुरा में खेत ख.न. 1364 रकबा 2.5738 हैक्टेयर आया हुआ होकर वादी के कब्जे काश्त में आया हुआ है जिसके दक्षिणी पूर्वी तरफ खेत ख.न. 1393 रकबा 0.2347 हैक्टेयर भी वादी के कब्जे काश्त खातेदारी का है। ख.न. 1364 मे से कदीमी रास्ता जिसको वाद पत्र सलग्नक मार्क ए से बी दर्शाया हुआ है जो मौके पर रास्ते के रूप मे काम आ रहा हैं। वादी के खेतद ख.न. 1364 की दक्षिण माठ व पश्चिमी माठ पर से होकर राजस्व रिकॉर्ड मे ख.न. 1385 गै.मू रास्ता है जो नजरी नक्सा में मार्क ए.सी.डी.ई. बी से दर्शाया हुआ है। जो कि राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियों ने भूल से सेटलमेंट के समय मार्क ए से बी के स्थान पर मार्कए.सी.डी.ई. बी राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता गलत दर्ज कर दिया गया। जिससे राजस्व रिकॉर्ड में हुई अशुद्धि को दुरस्त किये जाने बाबत तथा जहा रास्ता सेटलमेंट के पूर्व से के स्थान पर रास्ता घोषित करने बाबत तथा गलत दर्ज किये गये रास्ते को वादी की खातेदारी में दर्ज करवाने बाबत वादी का यह वाद लाना लाजमी आया हैं।

यह है कि मौक पर ख.न. 1385 में मार्क ए से बी पर ग्रेवल सडक बनी हुई है जो निर्बाध रूप से वर्तमान में मौके पर चालू है। मार्क ए.सी.डी.ई. बी तक मौके पर कभी कोई रास्ता न तो होने ना ही आवागमन के रूप मे उपयोग व उपभोग होने के उपरान्त भी गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिये जाने यह वाद उत्पन्न हुआ।

अतः मौजा काशीपुरा के खेत ख.न. 1364 मे मौक पर चालू रास्ता मार्क ए से बी को कटाणी रास्ता घोषित फरमाते हुये खे तख.न. 1364 की दक्षिणी पश्चिमी माठ पर कटाणी रास्ता ख.न. 1385 का भाग मार्क ए.सी.डी.ई. बी को राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करने के निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:30:15 IST
Reason: SelfAttested

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवाद को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल की ओर से. राजस्थान सरकार ने हाजिर आकर जवाब पेश किया कि खेत ख.न. 1364 वादी की खातेदारी का खेत है तथा खेत मे से वादी के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्सानुसार मार्क ए से बी रास्ता चल रहा है, जबकि राजस्व रिकार्डनुसार रास्ता मार्क ए.सी.डी.ई. बी के अनसार है। ख.न. 1364 मे रास्ते के बिन्दू सं. इ से डी के दक्षिणी तरफ ख.न 1395 मे

रहवासी मकान बने हुये तथा ख.न. 1364 व 1394 में न्यायलय हाजा के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। ख.न. 1393 मे सरकारी विद्यालय बना हुआ है।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि मौक पर मार्क ए,सी.डी.ई. बी पर किसी प्रकार का रास्ता चालू नहीं होकर मार्क ए से बी रास्ता मौक पर चालू है को रास्ता घोषित किया जाकर मार्क ए,सी.डी.ई. बी को दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

तहसीलदार जायल ने राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर, दिनांक : 10.08.2016 के संदर्भ में जरिये पत्र कमांकः भू.अ./1336 दिनांक 06.04.2017 के ग्राम– काशीपुरा में ख.न. 1364 से कदीमी रास्ता मार्क ए से बी प्रचलित होना तथा वर्तमान में उक्त रास्ता चालू होने पर चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का जमाबन्दी एवं नक्शें में दर्शाये अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के प्रावधान होने से चालू रास्ता को कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। ख.न. 1364 की दक्षिणी पश्चिमी माठ पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कटाणी रास्ता सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत कटाणी रास्ता की भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से किसी व्यक्ति विशेष को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना जाकर डिकरी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

यतः वादी की अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इश्तदुआ विधि सम्मत नहीं होने से खारिज की जाती है तथा धारा 131, व 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इश्तदुआ स्वीकार की जाकर मौजा काशिपुरा के खसरा नम्बर 1364 में से नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी तक रास्ता की भूमि घोषित किया जाता है। प्रकरण में वादग्रस्त खसरा नम्बर 1364 में न्यायालय हाजा के द्वारा पारित स्थगन आदेश रास्ते के अमल दरामद से मुक्त रखा जाता है। इसी अनुसार डिक्री प्रर्चा जारी होकर राजस्व रिकोर्ड में अमल–दरामद करने हेतु तहरीर जारी होकर, पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 4/10/22 को लिखा जाकर मजमे आम सुनाया गया।

(सुनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)जायल

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:30:15 IST
Reason: SelfAttested